भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *207

जिसका उत्तर सोमवार, 03 अगस्त, 2026/12 श्रावण, 1948 (शक) को दिया गया

एकीकृत पेंशन योजना

†*207. श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केंद्र सरकार के पात्र कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) शुरू कर दी गई है और यदि हां, तो इस योजना का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों की संख्या सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने यूपीएस की शुरुआत से लेकर अब तक इसके कार्यान्वयन और कार्य-निष्पादन की समीक्षा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी समीक्षा के क्या निष्कर्ष रहे;

(ग) क्या सरकार को कर्मचारी संघों, पेंशनभोगी व्यक्तियों के संगठनों या अन्य हितधारकों से यूपीएस के प्रतिस्थापन, संशोधन या वापस लेने के संबंध में अभ्यावेदन, सुझाव या मांगें प्राप्त हुई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने एकीकृत पेंशन योजना के स्थान पर किसी वैकल्पिक पेंशन ढांचे को लाने की व्यवहार्यता की जांच की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किन-किन विकल्पों पर विचार किया गया है और उनके वित्तीय परिणाम क्या होंगे; और

(ङ) क्या सरकार का विचार हितधारकों की प्रतिक्रिया और व्यवहार्यता आकलन के आधार पर एकीकृत पेंशन योजना में कोई परिवर्तन करने या उसे प्रतिस्थापित करने का है और यदि हां, तो इस संबंध में निर्णय लेने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

उत्तर

वित्त मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारामन)

(क) से (ङ)**:** विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

"एकीकृत पेंशन योजना" के संबंध में, माननीय संसद सदस्य श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल द्वारा दिनांक 03.08.2026 को पूछे गए लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या *207 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क): एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को दिनांक 24.01.2025 को अधिसूचित किया गया था, इसे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के अंतर्गत एक विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया गया है जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के अंतर्गत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद सुनिश्चित मासिक भुगतान प्रदान करना है। एकीकृत पेंशन योजना का लाभ उन पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए भी उपलब्ध था, जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत 31 मार्च 2025 या उससे पहले अधिवर्षिता की आयु प्राप्त किए थे अथवा सेवानिवृत्त हुए थे तथा जिन्होंने 10 वर्ष की नियमित सेवा पूरी की थी इसके साथ ही, ऐसे पात्र दिवंगत सेवानिवृत्त कर्मचारियों के विधिपूर्वक विवाहित पति/पत्नी भी इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र थे। यूपीएस को वित्तीय रूप से जिम्मेदार वित्तपोषित और अंशदायी पेंशन योजना सुनिश्चित करते हुए सेवानिवृत्ति के पश्चात सुनिश्चित पेंशन के संबंध में एनपीएस के तहत कवर किए गए कर्मचारियों की मांग को पूरा करने के लिए परिकल्पित किया गया है। एकीकृत पेंशन योजना दिनांक 01.04.2025 से लागू हुई और यूपीएस में माइग्रेशन का विकल्प चुनने की अंतिम तिथि 30.11.2025 थी। दिनांक 19.07.2026 की स्थिति के अनुसार, यूपीएस का विकल्प चुनने वाले भर्ती किए गए नए कार्मिक, मौजूदा कर्मचारियों और पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों सहित कर्मचारियों की कुल संख्या 1,18,195 है।

(ख) चूँकि यह योजना 01.04.2025 से प्रभावी की गई है, इसलिए सरकार द्वारा अब तक यूपीएस के कार्यान्वयन तथा उसके प्रदर्शन की समीक्षा नहीं की गई है।

(ग): कर्मचारियों और संघों के अभ्यावेदन के आधार पर, यूपीएस का विकल्प चुनने की कट-ऑफ तिथि 30.11.2025 तक बढ़ा दी गई थी। सरकार ने यूपीएस के अंतर्गत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत उपदान का भुगतान) नियम, 2021 के प्रावधानों के तहत 'सेवानिवृत्ति उपदान और मृत्यु उपदान' का लाभ प्रदान करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा, वे सरकारी कर्मचारी जिन्होंने एनपीएस के अंतर्गत यूपीएस का विकल्प चुना है, सेवा के दौरान सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने अथवा उसे अशक्तता या दिव्यांगता के आधार पर सेवा से मुक्त किए जाने की स्थिति में, सीसीएस (पेंशन) नियम, 2021 अथवा सीएसएस (असाधारण पेंशन) नियम, 2023 के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के विकल्प के भी पात्र होंगे। सरकार ने यूपीएस को भी एनपीएस के समान कर लाभ प्रदान करने का निर्णय लिया।
इसके अतिरिक्त, सरकार ने केंद्र सरकार के उन कर्मचारियों, जिन्होंने यूपीएस का विकल्प चुना है, को वन-टाइम, वन-वे विकल्प प्रदान किया है, जिसके तहत वे पुनः एनपीएस में वापस जा सकते हैं।

(घ) और (ङ): एनपीएस के अंतर्गत कवर किए गए केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एनपीएस के अंतर्गत एक विकल्प के रूप में यूपीएस की शुरुआत की गई है। आज की तारीख में, यूपीएस में कोई परिवर्तन करने अथवा उसे बदलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
